न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 08/2012

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. भंवर सिंह व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोकलपुर 2. बुद्धाराम सहायक, व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोकलपुर 3. सदीक शाह पुत्र शोकिन शाह मुसलमान निवासी मेड़तासिटी (ड्राईवर) 4. यूसूफ खां पूत्र लाल खां निवासी ग्राम सियास तहसील मेड़तासिटी (वाहन मालिक)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल।
2. अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह।
3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकतरफा।

निर्णय

दिनांक – 01/07/2019

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अन्तर्गत दिनांक 29.07.2009 को रामचन्द्र चौधरी प्रवर्तन अधिकारी मेड़ता द्वारा शिकायत की जांच में ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोकलपुर के गोदाम में रसद विभाग द्वारा सीज किये गये 32 कट्टे मय बारदाना वजन 16 क्विंटल गेहूं एवं पिकअप नम्बर आर.जे. 07 जी. 3685 को राजसात करने के आदेश बाबत् दिनांक 11.11.2009 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर रसद मामला संख्या 116/09 राज0 सरकार बनाम भंवरसिंह वगैरह दर्ज किया जाकर इस न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर प्रकरण में दिनांक 10.08.2010 को निर्णय पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार जब्तशुदा गेहूं को समपहरण किये जाने के आदेश दिये गये तथा उक्त जब्तसुदा गेहूं व बारदाना को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2009 के अन्तरिम निस्तारण के आदेशानुसार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण कर रुपये 18,432 अक्षरे अठारह हजार चार सौ बत्तीस रुपये की प्राप्त राशि को जिला रसद अधिकारी नागौर के चालान नम्बर 189 दिनांक 22.2.2010 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवा दिये जाने से, उक्त प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की गई। पिकअप 3685 में 21 कट्टे गेहुं भरे हुए दौराने जांच अवैध रुप से ले जाने में प्रयुक्त गाड़ी को अभिहरण किये जाने के बदले में प्रवहन द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु गेहूं की कीमत की राशि के बराबर जुर्माना राशि वाहन स्वामी द्वारा (अप्रार्थी संख्या 4) संदाय किये जाने पर विकल्प में छोड़े जाने के आदेश दिये गये थे। उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 4 इस आदेश की जारी होने से एक माह की कालावधि से नियमानुसार जुर्माना वसूली हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर को अधिकृत किया गया था। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा ड्राईविंग लाईसेंस का दुरुपयोग किये जाने से अप्रार्थी संख्या 3 के ड्राईविंग लाईसेंस को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया जाकर निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर व जिला परिवहन अधिकारी, नागौर को आदेश की प्रति भिजवाई जाने के निर्देश दिये गये।

2. उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2010 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या–3 सदीक शाह व अप्रार्थी संख्या–4 युसुफ खां द्वारा फौजदारी अपील संख्या–54/2010 सदीक शाह वगैरह बनाम

कलक्टर, नागौर

बनाम राजस्थान सरकार माननीय सेशन न्यायालय मेड़ता में प्रस्तुत की गई। श्रीमान् सेशन न्यायाधीश महोदय मेड़ता ने उक्त फौजदारी अपील में दिनांक 30.08.2011 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2010 को अपास्त किया करते हुऐ मामला इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विधि अनुसार पुनः सुनवाई कर कार्यवाही की जावे एवं पक्षकारान को निर्देश दिये गये कि वह दिनांक 20.09.2011 को अधिनस्थ अदालत (अदालत जिला कलक्टर नागौर) में 10 ए.एम. पर उपस्थित रहे। श्रीमान् सेशन न्यायाधीश महोदय मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक–1314 दिनांक 03.09.11 से उक्त निर्णय दिनांक 30.08.2011 की प्रति पालनार्थ इस न्यायालय को भिजवाई गई। जिस पर इस न्यायालय की उक्त प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली रसद मामला संख्या–116/2009 सरकार बनाम भंवरसिंह व्यवस्थापक वगैरह निर्णय दिनांक 10.08.2010 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर रसद रिमाण्ड प्रकरण संख्या–8/2012 सरकार बनाम भंवरसिंह व्यवस्थापक दिनांक 09.01.2012 को दर्ज किया जाकर संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करने का आदेश दिया गया। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 13.02.2013 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–3 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण साक्ष्य प्रार्थी में नियत किया गया, परन्तु प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य में गवाह पेश नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 18.03.2019 अनुसार साक्ष्य प्रार्थी बन्द की जाकर प्रकरण साक्ष्य अप्रार्थी में रखा गया। वकील श्री महेन्द्र सिंह ने अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से साक्ष्य पेश नही करने का निवेदन करने पर आदेशिका दिनांक 15.04.2019 के अनुसार प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.2009 को रामचन्द्र चौधरी प्रवर्तन अधिकारी मेड़ता ने ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोकलपुर का निरीक्षण किया। वक्त जांच मौके पर 100–150 ग्राम वासी उपस्थित मिले तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में पिकअप 07 जी.3685 खड़ी पायी। गाड़ी का निरीक्षण करने पर गाड़ी में 21 कट्टे गेहूं से भरे हुए पाये गये तथा 11 कट्टे गेहूं गोदाम में खुले पाये गये। ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध मिली शिकायतों एवं उनकी जांच के क्रम में दिनांक 27.7.09 को संस्था का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा संस्था के पास शेष स्टॉक में बचे हुए गेहूं अन्य दुकानदार को स्थानान्तरण करने के आदेश दिये जा चुके थे लेकिन संस्था के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक द्वारा शेष स्टॉक में बचे गेहूं को खुर्द बुर्द किये जाने का प्रयाय किया जा रहा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं जो उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर वितरण किये जाने थे जिनको ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोकलपुर के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक द्वारा खुर्द बुर्द कर कालाबाजारी में बेचने के लिए ले जाने का प्रयास किया जाना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो की स्पष्ट अवहेलना होने से मौके पर पिकअप गाड़ी आर.जे.07 जी. 3685 में भरे हुए 21 कट्टे गेहूं एवं गोदाम में रखे 11 कट्टे कुल 32 कट्टे गेहूं मय बारदाना वजन 16 क्विंटल जब्त किये जाकर वास्ते सुरक्षा गेहूं ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में रखवा कर उनको सील कर चाबी प्रवर्तन अधिकारी अधिकारी, श्री रामचन्द्र चौधरी द्वारा अपने पास सुरक्षित रख ली गई। मौके पर गेहूं पिकअप आरजे 07 जी 3685 में भरे जा चुके थे। इसलिए मौके पर प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामचन्द्र चौधरी द्वारा पिकअप गाडी को जब्त किया गया एवं गाडी थानाधिकारी पुलिस थाना गोटन को वास्ते सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दी गयी। प्रवर्तन अधिकारी, मेड़ता द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट में पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 की सुपुर्दगीनामा पर थानाधिकारी गोटन के प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं होने पर प्रवर्तन अधिकारी, मेड़ता को सुपुर्दगीनामा पेश करने के लिए पाबंद किया गया। प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामचन्द्र चौधरी द्वारा पेश किया गया प्रतिवेदन दिनांक 12.10.09 के अनुसार पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 में गेहूं भरते हुए मौकलपुर में उनके द्वारा जब्त की गयी थी उसे मौके पर ही ग्राम मौकलपुर में थाना अधिकारी गोटन को सुपुर्दगी में दिया गया। लेकिन थानाधिकारी गोटन

द्वारा इस पिकअप गाड़ी को धारा 207 एम.वी. एक्ट में मोलपुर से जब्त किया जाना दर्शा कर इस्तगासा श्रीमान उप अधीक्षक मेड़ताशहर द्वारा दिनांक 30.7.09 को गाड़ी को 400 रूपये जुर्माना लेकर रिलीज कर दिया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोकलपुर के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को गबन कर कालाबाजारी में बेचने हेतु ले जाने का कृत्य एवं पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 के ड्राईवर सदीक शाह एवं मालिक यूसूफ खां का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 32 कट्टे मय बारदाना वजन 16 क्विंटल गेहूं एवं पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में सम्पहरित करवाने की प्रार्थना पत्र में इश्तदुआ की।

4. उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी। प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि दिनांक 29.7.2009 को रामचन्द्र चौधरी प्रवर्तन अधिकारी मेड़ता ने ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोकलपुर का निरीक्षण किया। वक्त जांच मौके पर 100–150 ग्राम वासी उपस्थित मिले तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में पिकअप आर.जे 07 जी. 3685 खड़ी पायी। गाड़ी का निरीक्षण करने पर गाड़ी में 21 कट्टे गेहूं से भरे हुए पाये गये तथा 11 कट्टे गेहूं गोदाम में खुले पाये गये। ग्राम सेवा सहाकारी समिति के विरुद्व मिली शिकायतों एवं उनकी जांच के क्रम में दिनांक 27.9.09 को संस्था का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा संस्था के पास शेष स्टॉक में बचे हुए गेहूं अन्य दुकानदार को स्थानान्तरण करने के आदेश दिये जा चुके थे लेकिन संस्था के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक द्वारा शेष स्टॉक में बचे गेहूं को खुर्द बुर्द किये जाने का प्रयास किया जा रहा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं जो उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर वितरण किये जाने थे जिनको ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोकलपुर के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक द्वारा खुर्द बुर्द कर कालाबाजारी में बेचने के लिए ले जाने का प्रयास किया जाना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनयमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो की स्पष्ट अवहेलना होने से मौके पर पिकअप गाड़ी आर.जे 07 जी. 3685 में भरे हुए 21 कट्टे गेहूं एवं गोदाम में रखे 11 कट्टे कुल 32 कट्टे गेहूं मय बारदाना वजन 16 क्विंटल जब्त किये जाकर वास्ते सुरक्षा गेहूं ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में रखवा कर उनको सील कर चाबी प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामचन्द्र चौधरी द्वारा अपने पास सुरक्षित रख ली गई। मौके पर गेहूं पिकअप आर.जे 07 जी. 3685 में भरे जा चुके थे इसलिये मौके पर प्रवर्तन अधिकारी श्री रामचन्द्र चौधरी द्वारा पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया एवं गाड़ी थानाधिकारी पुलिस थाना गोटन को वास्ते सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दी गयी। प्रवर्तन अधिकारी मेड़ता द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट में पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 की सुपुर्दगीनामा पर थानाधिकारी गोटन को वास्ते सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दी गयी। प्रवर्तन अधिकारी मेडता द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट में पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 की सुपुर्दगीनामा पर थानाधिकारी गोटन के प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं होने पर प्रवर्तन अधिकारी मेड़ता को सुपुर्दगीनामा पेश करने के लिए पाबंद किया गया। प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामचन्द्र चौधरी द्वारा पेश किया गया प्रतिवेदन दिनांक 12.10.09 के अनुसार पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 में गेहूं भरते हुए मौकलपुर में उनके द्वारा जब्त की गयी थी उसे मौके पर ही ग्राम मौकलपुर में थानाधिकारी गोटन द्वारा इस पिकअप गाड़ी को धारा 207 एम.वी. एक्ट में मोकलपुर से जब्त किया जाना दर्शा कर इस्तगासा उप अधीक्षक मेड़ताशहर द्वारा दिनांक 30.7.09 को गाड़ी को 400/–रूपये जुर्माना लेकर रिलीज कर दिया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोकलपुर के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को गबन कर कालाबाजारी में बेचने हेतु ले जाने का कृत्य एवं पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 के ड्राईवर सदीक शाह एवं मालिक यूसूफ खां का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 32 कट्टे मय बारदाना वजन 16 क्विंटल गेहूं एवं पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में जब्तशुदा गेहूं मय बारदाना को सम्पहरित करवाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

5. श्री नहेन्द्र सिंह वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया हुआ है एवं हस्तगत प्रकरण में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया हुआ है। इसके अलावा पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2010 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा कोई फौजदारी अपील माननीय सेशन न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय से सहमत है।

6. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है, परन्तु अप्रार्थी संख्या–3 व 4 द्वारा पूर्व में दिनांक 03.08.2010 को प्रस्तुत जबाब के अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को इस मामले में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को झूठा फसाया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 वाहन आर.जे 07 जी. 3685 का चालक था भण्डार व्यवस्थापक रामप्रसाद ने समिति से गेहूं भरकर लाने के लिये कहे जाने पर अप्रार्थी संख्या 3 व हमाल गेहूं भरने के लिये समिति पहुंचा तो वहां पर लोगो ने गेहूं भरने से मना कर दिया जिस कारण से पिकअप में गेहूं नहीं भरे। अप्रार्थी संख्या 4 का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है वह केवल पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 का मालिक है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की इस मामले मे किसी भी प्रकार से कोई सक्रिय भूमिका नहीं है अतः उनको दोषमुक्त किया जावे। जिस समय अप्रार्थी संख्या 3 मौके पर गेहूं भरने के लिये पहुंचे, उस समय 100–150 ग्रामवासी उपस्थित थे उनके गेहूं भरने से मना करने के कारण एक भी कट्टा पिकअप गाड़ी में नही भरा। थानाधिकारी गोटन ने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की पिकअप गाड़ी को धारा 207 एम वी एक्ट में जब्त की थी जिसे बाद 400 रुपये जुर्माना पर छोड़ दिया गया। पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 के ड्राईवर व मालिक का इस कृत्य में कोई योगदान नही है। अतः उन्हें दोषमुक्त करार किया जावे।

7. प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा 21 कट्टे गेहूं गाड़ी में भरे थे वक्त जांच मौके पर 20–25 व्यक्तियों के हस्ताक्षर फर्द मौका रिपोर्ट में करवाये गये। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कथन कि गेहूं गाड़ी में एक कट्टा भी नहीं भरा व भरने से पूर्व ही गांव के लोग प्रवर्तन अधिकारी को टेलीफोन पर सूचना देने से प्रवर्तन अधिकारी के मौके पर आने के कारण गेहूं भरवाना बंद कर दिया अप्रार्थी का यह कथन सही एवं न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2010 के विरूद्ध के मा0 जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील नहीं की गई थी, इसलिए भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 10.08.2010 प्रभावी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में जब्त शुदा गेहूं मय बारदाना को राज हक में सम्पहरित किया जाना उचित है।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का उवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द एवं मौका जब्ती रिपोर्ट दिनांक 29.07.2009 को जो अप्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी गेड़ता व मौतबिर सरपंच ग्राम पंचायत मोकलपुर व उप सरपंच बोदूराम व अन्य उपस्थित व्यक्तियों के सामने तैयार की जाकर उनके हस्ताक्षर भी लिये गये है, के अनुसार मौके पर, फर्द मौका जब्ती एवं रिपोर्ट की कार्यवाही की गई है वक्त जांच मौके पर मौतबिरान के समक्ष पिकअप आर.जे. 07 जी 3685 में 21 गेहूं के कट्टे व 11 कट्टे गेहूं गोदाम में पाये गये उन्हें जब्त किया जाकर वास्ते सुरक्षा हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में रखवा कर सील किया गया। इस प्रकार वक्त जांच अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के गोदाम की आकस्मिक जांच कार्यवाही में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 खड़ी पायी गयी तथा गाड़ी के निरीक्षण में गाड़ी में 21 कट्टे गेहूं से भरे हुए व 11 कट्टे गेहूं गोदाम में खुले पाये गये। प्रार्थी के के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का दिनांक 27.7.2009 को संस्था का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिये जाने के बावजूद व शेष स्टॉक में बचे हुए गेहूं को अन्य दुकानदार को स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा शेष स्टॉक के गेहूं को खुर्द बुर्द किये जाने का प्रयास किये जाने व कालाबाजारी में बेचने के लिये ले जाने का प्रयास किया जाना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन)

आदेश 1976 के तहत जारी अधिकार पत्र की शर्तो की अवहेलना की जाने से प्रार्थी द्वारा 32 कट्टे मय बारदाना वजन 16 क्विंटल गेहूं मौके पर कब्जे सरकार लिये गये हैं। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब में बताया है कि दिनांक 27.7.2009 प्रवर्तन अधिकारी द्वारा शेष स्टॉक का गेहूं वापस होलसेल भण्डार मेड़ता में जमा करवाये जाने व होलसेल भण्डार मेड़ता के विक्रयकर्ता रामप्रसाद द्वारा प्रवर्तन अधिकारी के कहे अनुसार जब्तशुदा गेहूं जमा करने की पर्ची भिजवाये जाने बाबत् जवाब प्रार्थना पत्र में बताया है परन्तु इस संबंध में अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा वक्त जांच ऐसा कोई जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मौके पर उक्त सीजशुदा गाड़ी पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 में 21 कट्टे भरे हुए व 11 कट्टे गेहूं गोदाम में खुले पाये गये, कुल 32 कट्टे मय बारदाना वजन 16 क्विंटल गेहूं को मौके पर जब्ती की कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार प्रार्थी रसद विभाग के जांच अधिकारी द्वारा मौके पर तैयार की गयी रिपोर्ट की सत्यता पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं आया है इसलिये वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्क एंव अप्रार्थी संख्या–3 व 4 जवाब के तथ्य काल्पनिक बनावटी एवं इस कार्यवाही से बचने के लिये प्रस्तुत किये गये हैं।

9. उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर रसद विभाग द्वारा मौके पर की गई जब्ती एवं मौका रिपोर्ट की कार्यवाही दिनांक 29.07.2009 उचित प्रतीत होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार जब्तशुदा गेहूं को समपहरण किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त जब्तसुदा गेहूं व बारदाना को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2009 के अन्तरिम निस्तारण के आदेशानुसार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण कर रुपये 18,432/– अक्षरे अठारह हजार चार सौ बत्तीस रुपये की प्राप्त राशि को जिला रसद अधिकारी नागौर के चालान नम्बर 189 दिनांक 22.2.2010 द्वारा राजकीय कोष में जमा कराये जा चुके हैं अतः उक्त प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती है। पिकअप नम्बर आर.जे 07 जी. 3685 में 21 कट्टे गेहुं भरे हुए दौराने जांच अवैध रुप से ले जाने में प्रयुक्त गाड़ी को अभिहरण किये जाने के बदले में प्रवहन द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु गेहूं की कीमत की राशि के बराबर जुर्माना राशि वाहन स्वामी द्वारा (अप्रार्थी संख्या 4) संदाय किये जाने पर विकल्प में छोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 4 इस आदेश की जारी होने से एक माह की कालावधि से नियमानुसार जुर्माना वसूली हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर को अधिकृत किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा ड्राईविंग लाईसेंस का दुरुपयोग किये जाने से अप्रार्थी संख्या 3 के ड्राईविंग लाईसेंस को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है। निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर व जिला परिवहन अधिकारी, नागौर को आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर